रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2060] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937
No. 2060] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015

का.आ.2609(अ).--निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के हास्पेट और संदूर में स्थित दारोजी भालू अभयारण्य 82.72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और 15° 14° उत्तरी से 15°07उ. अक्षांश तथा 76° 31 से 76° 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के उपखंड (ख) के अधीन 55.873 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को दारोजी भालू अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने वाली कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. ईई 159 एफ डब्ल्यू एल 91, तारीख 17.10.1994 द्वारा अभयारण्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008 में कर्नाटक सरकार ने बुक्का सगारा आरक्षित वन क्षेत्र के 26.85 वर्ग कि.मी. के अतिरिक्त क्षेत्र को अपनी अधिसूचना सं. एफईई 119 एफडब्लयू एल 2008, तारीख 3.10.2008 द्वारा दारोजी भालू क्षेत्र के अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। वर्तमान में दारोजी भालू अभयारण्य का कुल क्षेत्र 82.72 वर्ग कि.मी. है।

दारोजी भालू अभयारण्य भारत में केवल ऐसा अभयारण्य है जो संकटापन्न स्तनपायी भारतीय रीछ (मेलसर्स अर्सीनस) के संरक्षण के लिए स्पष्टतया घोषित किया गया है, इस अभयारण्य में शैलमय शिलाखंड और गुफाँएं, झाड़ीदार जंगल और भू-भाग, रीछों तथा चीतों के लिए अभीष्ट प्राकृतिक आवास बनाए हैं।

स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और वन्य जीव कार्यकर्ताओं की सहायता से वन विभाग द्वारा अपनाई गई कठोर संरक्षक संबंधी पद्धतियों के कारण अभयारण्य को पुनःजीवित किया गया है। और संपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणाली में पूर्णतया परिवर्तन किया गया है।

संपूर्णस अत्युर्वर वनस्पति दठूठों से और भालूओं तथा पक्षियों द्वारा किए गए बीज छितराव द्वारा पुनःजीवित की जाती है। कभी बंजर, विकृत हुए जंगल अब हरे भरे हो गए हैं उत्तरी कर्नाटक के झाड़ीदार वन में विशिष्ट पादपों की असंख्य प्रजातियां यहां दिखाई देती हैं। क्योकि जंगल को पुनःजीवित किया गया है, इसलिए वन्य जीव यहां फलफूल रहा है। भारतीय रीछों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। चीता, साही, साल, गीदड़, काले रोएंदार खरगोश और लाल नेवला आदि की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है और यहां लगभग पक्षियों की 150 प्रजातियां जिनमें दुर्लभ पीत कंठदार बुलबुल, रंग बिरंगा पदकन्टमुर्गा भी है, पहचान की गई है तथा यहां स्टार कछुओं, अजगर, रसल वाईपर रेड सैन्ड बोआ, कोबरा जैसे सरीसृप और बहुत से सांर दिखाई देते हैं।

और, दारोजी भालू अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में दारोजी भालू अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 150 मीटर से 4.7 किलोमीटर की सीमा तक के विस्तार क्षेत्र को दारोजी भालू अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार दारोजी भालू अभयारण्य के चारों ओर 132.016 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ऐसे जोन का सीमा अभिवर्णन **उपाबंध** I में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिंदुओं के समन्वयकों के साथ **उपाबंध** II के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा ब्यौरों सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र **उपाबंध** III के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर और साथ ही अभयारण्य पर मुख्य अवस्थान (जीपीएस बिन्दू) **उपाबंध-**IIIक रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्यांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी।

(4) पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी बातों को इसमें समकलित करने के लिए आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार कि जाएगी, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक संकर्म विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों, पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का सुधार करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय पारिस्थितकीय जोन में विकास को विनियिमत करेगी जिससे समुदायों की जीवकोपार्जन की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास का सुनिश्चय किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रमांक 11, 17, 23, 28, और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संन्निमार्ण ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक झरने** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यटन मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण पेनगंगा वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे :

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक ईकाइयां-**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई की परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जलाश्यों या सतही क्षेत्र में	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

	अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञात की जाएगी: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रह सकता है: परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनके पर्यवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा ।
विनियमित क्रियाकलाप :		
(10)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित ।
(11)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं। तथापि 1 किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कार्यकलापों या विद्यमान कार्यकलापों के विस्तार पर्यटन मास्टर प्लान के दिशा-निर्देशों के अनुरुप होंगे ।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा। परंतु एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामलों में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा ।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) सतह जल और भू जल का निष्कर्षण वास्तविक कृषि उपयोग और भूमि के अधिभोगी के घरेलू उपयोग के लिए ही अनुज्ञात किया

		जाएगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भूजल निष्कर्षण जिसके अंतर्गत वह भी मात्रा भी है जिसे निष्कर्षित किया जा सकता है, विनियामक प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुज्ञा की अपेक्षा करेगा। (ग) सतही जल अथवा भूमिगत जल का कोई विक्रय अनुज्ञात नही होगा। (घ) किसी स्रोत जिसमें कृषि भी है, से जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
(15)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों की स्थापना।	(i) भूमिगत केबल डालने को प्रोत्साहित करना। (ii) आचलिक महायोजना के अधीन विवरणों के अनुसार या मानिटरी समिति की सिफारिशों से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वैद्युत खंभे खड़े किए जा सकते हैं।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	लघु उद्योग, जो प्रदूषण कारित नहीं कर रहे हैं।	प्रदूषण न करने वाले गैर परिसंकटमयी लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग स्वदेशी मालों से पारिस्थितिक संवेदी जोन से उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं और जो पर्यावरण पर संघात कारित नही करते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
(24)	वनोत्पादक या गैर इमारती लकड़ी का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(28)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(29)	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	सक्रीय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक सरकार के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, गुलबर्ग	अध्यक्ष;
(ii)	माननीय विधान सभा सदस्य, हास्पेट निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लारी जिला	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	सदस्य;
(vii)	कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि बेल्लारी जिला	सदस्य;
(ix)	उप वन संरक्षक, या बेल्लारी प्रभाग, बेल्लारी	सदस्य- सचिव

निर्देश का निबंधन

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके पैरा के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/137/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

दारोजी भालू अभयारण्य की सीमाएं

तुंगभद्रा नदी (उ 15°22'46.30" पू 76°32'37.72") के किनारे पर दारोजी भालू अभयारण्य के उत्तर में बिन्दु सं. 1 स्थित है । पारिस्थितिक संवेदी जोन रेखा पूर्व की दिशा मे सीधा बिन्दु सं.-2 (उ 15° 22' 43.76" पू 76° 34' 11.86"), की तरफ बढ़ती है, तत्पश्चात सीमा रेखा बिन्दु सं. -3 (उ 15° 21' 49.46" पू 76° 34' 12.94"), की तरफ बढ़ती है, इसके बाद सीमा रेखा रामासागर टंक के दौर से बिन्दु सं. -4 (उ 15° 21' 39.11" पू 76° 34' 42.31 की तरफ मुड़ती है, तब सीमा रेखा दक्षिण की ओर तुंगभद्रा नदी के किनारे बिन्दु सं.-5(उ 15°20'51.34" पू 76°34'42.73") की ओर बढ़ती है, इसके बाद सीमा रेखा पूर्व की ओर नहर के साथ-साथ बिन्दु सं.-6 (उ 15°21'02.47" पू 76°35'14.71"), तक बढ़ती है तब सीमा रेखा नीचे की तरफ दक्षिण- पूर्व दिशा में बिन्दु सं.- 7 (उ 15°19' 71.32" पू 76°36'44.32"), तक बढ़ती है तब सीमा रेखा छोटी पहाड़ी की तलहटी से बिन्दु सं.-8 और बिन्दु सं.-9 तक, मैत्री ग्राम नन्दोबस्त के सिवाय, बिन्दु सं.-9ए (उ 15°18'04.72" पू 76°37'49.21"), पर मैत्री-देवलापुरम रोड को जोड़ती है, इसके बाद सीमा रेखा रोड के साथ चलते हुए बिन्दु सं.- 10 (उ 15°17' 27.64" पू 76° 38' 23.58"), तक चलती है उसके बाद यह दक्षिण- पूर्व दिशा की ओर बिन्दु सं. -10ए (उ 15°17'18.82" पू 76°38'11.57") तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ कर बिन्दु सं.-11 (उ 15°17'01.10" पू 76°38'24.90") तक जाती है, जो कि देवलापुरम ग्राम नन्दोबस्त के बाहर स्थित है, तत्पश्चात सीमा रेखा सीधा दक्षिण- पूर्व दिशा में चलते हुए बिन्दु सं.-12 (उ 15°16'34.11" पू 76°39'41.04") तक पहुँचती है । इसके बाद सीमा रेखा पूर्व में बिन्दु सं. -13 (उ 15°16'32.42" पू 76°40'23.38") तक जाती है जो कि जल नहर कि किनारे स्थित है । इसके बाद सीमा रेखा नहर के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर बिन्दु सं.-14 से होते हुए मुड़ती है तथा बिन्दु सं.-15 जो कि डरोजी टंक के उत्तरी किनारे पर स्थित है तक पहुँचती है, इसके बाद सीमा रेखा डरोजी टंक की सीमा के साथ-साथ बिन्दु सं.- 16 , तक इसके बाद सीधा दक्षिण- पूर्व दिशा में होरापन बिल्लेरी रोड पर स्थित बिन्दु सं.-17 तक, तत्पश्चात रोड के साथ-साथ सीमा रेखा बिन्दु सं.-18 (उ 15°13'27.43" पू 76°36'57.42"), तक, इसके बाद पूर्व में उत्तर में बिन्दु सं.-19 (उ 15°13'47.42" पू 76°36'35.52"), तक, सीमा रेखा इसके बाद पश्चिम कि ओर रेलवे लाइन सीमा पर स्थित बिन्दु सं.-20 (उ 15°13'46.22" पू 76°35' 34.38"), इसके बाद यह बिन्दु सं.-21 तक जाती है, तथा इसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा रेखा पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ बिन्दु सं. -22, 23, 24, 25, 26, 27, के साथ बिन्दु सं. -28, तक, इसके बाद उत्तर की ओर सीमा रेखा बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन की सीमा पर स्थित बिन्दु सं. -29 तक जाती है इसके बाद सीमा रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में सीधा बढ़ते हुए बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन की अन्यत्र पश्चिम बिन्दु पर स्थित बिन्दु -30 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा पूर्व दिशा में बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन कि सीमा के साथ-साथ तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर पर स्थित बिन्दु सं.-33 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर के साथ बिन्दु सं.- 35, तक जाती है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ कर बिन्दु सं. - तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा और आगे बढ़ कर कमलुपरा-रामासागर रोड पर स्थित बिन्दु सं. -37 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में रोड के साथ बिन्दु सं.- 41, तक जाती है, तथा इसके बाद सीमा रेखा उत्तर की ओर मुड़ कर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित बिन्दु सं.-42 तक, इसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा में चलते हुए तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित बिन्दु सं.-1 तक पहुँचती है ।

उपाबंध II

दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गाँवों की सूची

मानचित्र आई डी	गाँवों के नाम	पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत गाँव	तालुका	वर्ग किलोमीटर में विस्तार	अक्षांश	देशांतर
1	रामासागर	आंशिक गाँव	होसापेट	4.079	15.37646 उ	76.57522 पू
2	कनाविथीम्मालपुरा	आंशिक गाँव	होसापेट	8.547	15.34459 उ	76.57260 पू
3	बुक्कासागर	आंशिक गाँव	होसापेट	5.187	15.34972 उ	76.53200 पू
4	वेंकटापुरा	आंशिक गाँव	होसापेट	7.223	15.33018 उ	76.51664 पू
5	कददीरामापुरा	आंशिक गाँव	होसापेट	30.059	15.27947 उ	76.52431 पू
6	इंगालिगी	आंशिक गाँव	होसापेट	1.964	15.25904 उ	76.44201 पू
7	वददाराहाल्ललली	आंशिक गाँव	होसापेट	1.796	15.23655 उ	76.46855 पू
8	पप्पीनायाक्कानाहाल्ली	आंशिक गाँव	होसापेट	3.695	15.23869 उ	76.48876 पू
9	बयालुवादीगेर	आंशिक गाँव	होसापेट	8.508	15.24227 उ	76.52535 पू
10	दरमासागर	आंशिक गाँव	होसापेट	6.418	15.23313 उ	76.56372 पू
11	कोट्टीगानल	आंशिक गाँव	होसापेट	2.981	15.21926 उ	76.58360 पू
12	गदीगानुरु	आंशिक गाँव	होसापेट	2.597	15.22222 उ	76.59769 पू
13	गोनालु	आंशिक गाँव	होसापेट	5.709	15.22097 उ	76.62701 पू
14	दारोजी	आंशिक गाँव	होसापेट	11.647	15.26527 उ	76.66681 पू
15	देवालापुरा	आंशिक गाँव	होसापेट	3.95	15.28319 उ	76.64616 पू
16	उप्पराहाल्ली	आंशिक गाँव	होसापेट	7.339	15.29219 उ	76.60729 पू
17	मेतरी	आंशिक गाँव	होसापेट	8.727	15.30919 उ	76.62290 पू
			Total	120.426		

उपाबंध III

दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

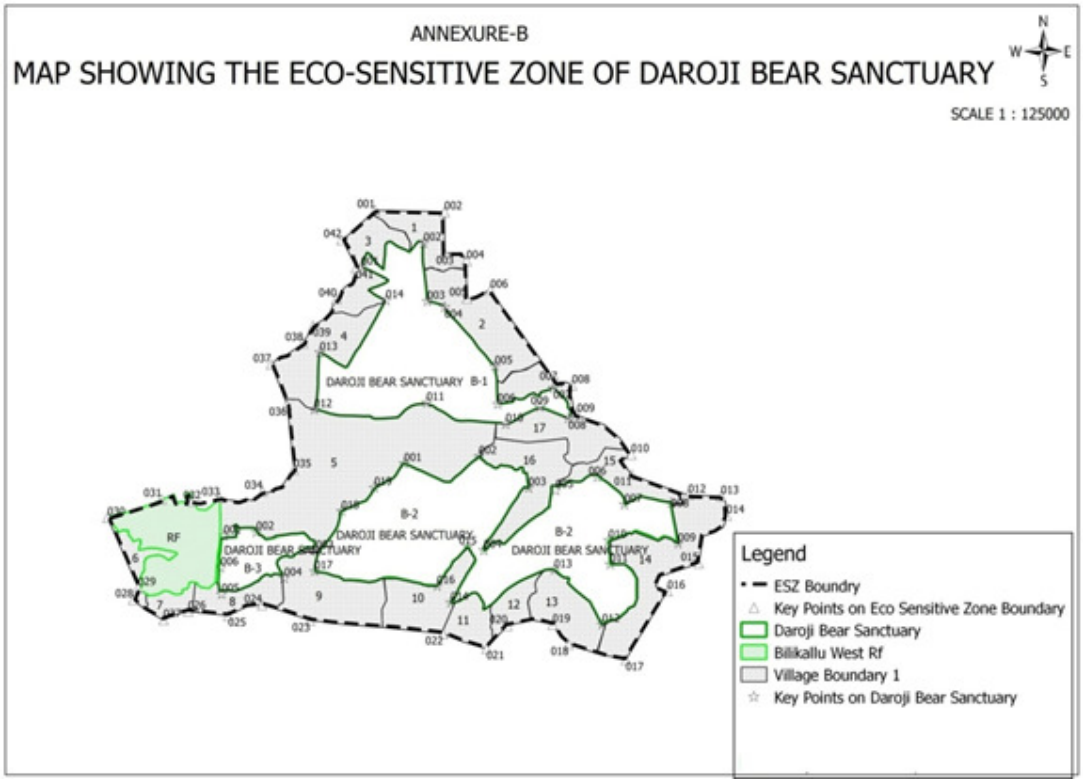

उपाबंध III **ए**

दारोजी वन्यजीव अभयारण्य एवं दारोजी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य स्थान

दारोजी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य स्थान (जीपीएस बिन्दु) (ब्लाक-01)

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	15.35864 उ	76.53915 पू
2	15.36713 उ	76.56228 पू
3	15.34665 उ	76.56346 पू
4	15.34450 उ	76.56999 पू
5	15.32309 उ	76.58876 पू
6	15.30992 उ	76.58968 पू
7	15.31457 उ	76.61068 पू
8	15.30393 उ	76.61631 पू
9	15.30800 उ	76.60557 पू
10	15.30188 उ	76.59304 पू
11	15.30953 उ	76.56296 पू
12	15.30753 उ	76.52062 पू
13	15.32787 उ	76.52300 पू
14	15.34623 उ	76.54780 पू

दारोजी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य स्थान (जीपीएस बिन्दु) (ब्लाक-02)		
मानचित्र आई डी	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	15.28707 उ	76.55521 पू
2	15.28969 उ	76.58362 पू
3	15.27761 उ	76.60242 पू
4	15.25583 उ	76.58538 पू
5	15.27836 उ	76.61132 पू
6	15.28299 उ	76.62712 पू
7	15.27194 उ	76.63854 पू
8	15.27206 उ	76.65598 पू
9	15.25752 उ	76.65854 पू
10	15.25849 उ	76.63235 पू
11	15.25012 उ	76.63301 पू
12	15.22858 उ	76.62984 पू
13	15.24780 उ	76.60978 पू
14	15.23654 उ	76.57324 पू
15	15.25695 उ	76.57944 पू
16	15.24276 उ	76.56717 पू
17	15.24865 उ	76.52181 पू
18	15.26696 उ	76.53164 पू
19	15.27364 उ	76.54106 पू

दारोजी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य स्थान (जीपीएस बिन्दु) (ब्लाक-03)		
मानचित्र आई डी	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	15.26280 उ	76.48614 पू
2	15.26410 उ	76.49849 पू
3	15.25716 उ	76.52088 पू
4	15.24739 उ	76.50882 पू
5	15.24182 उ	76.48521 पू
6	15.25136 उ	76.48494 पू

प्रमुख स्थान (जीपीएस स्थिति) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा
(दातम डब्लूजी एस-84)

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर	मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	उ 15°22' 46.30"	पू 76° 32' 37.72"	23	उ 15° 13' 17.11"	पू 76° 35' 05.65"
2	उ 15°22' 43.76"	पू 76° 34' 11.86"	24	उ 15° 13' 37.03"	पू 76° 34' 05.42"
3	उ 15°21' 49.46"	पू 76° 34' 12.94"	25	उ 15° 13' 56.51"	पू 76° 31' 03.23"
4	उ 15°21' 39.11"	पू 76° 34' 42.31"	26	उ 15° 14' 15.79"	पू 76° 30' 01.72"
5	उ 15°20' 51.34"	पू 76° 34' 42.73"	27	उ 15° 14' 02.39"	पू 76° 29' 15.25"
6	उ 15°21' 02.47"	पू 76° 35' 14.71"	28	उ 15° 14' 08.16"	पू 76° 28' 21.88"
7	उ 15°19' 71.32"	पू 76° 36' 44.32"	29	उ 15° 13' 57.54"	पू 76° 27' 47.49"
8	उ 15°19' 01.89"	पू 76° 36' 58.16"	30	उ 15° 14' 23.67"	पू 76° 27' 07.00"
9	उ 15°18' 19.28"	पू 76° 37' 10.45"	31	उ 15° 15' 01.17"	पू 76° 27' 04.22"
10	उ 15°18' 04.72"	पू 76° 37' 49.21"	32	उ 15° 16' 10.58"	पू 76° 26' 32.94"
11	उ 15°17' 27.64"	पू 76° 38' 23.58"	33	उ 15° 16' 32.65"	पू 76° 27' 45.20"
12	उ 15°17' 18.82"	पू 76° 38' 11.57"	34	उ 15° 16' 31.49"	पू 76° 28' 27.37"
13	उ 15°17' 01.10"	पू 76° 38' 24.90"	35	उ 15° 16' 34.94"	पू 76° 29' 05.55"
14	उ 15°16' 34.11"	पू 76° 39' 41.04"	36	उ 15° 16' 42.42"	पू 76° 30' 03.36"
15	उ 15°16' 32.42"	पू 76° 40' 23.38"	37	उ 15° 17' 10.80"	पू 76° 30' 45.58"
16	उ 15°16' 12.58"	पू 76° 40' 32.36"	38	उ 15° 18' 34.39"	पू 76° 30' 37.89"
17	उ 15°15' 05.70"	पू 76° 39' 54.52"	39	उ 15° 19' 27.88"	पू 76° 30' 15.96"
18	उ 15°14' 29.80"	पू 76° 39' 11.68"	40	उ 15° 19' 55.08"	पू 76° 30' 59.77"
19	उ 15°13' 01.19"	पू 76° 38' 14.00"	41	उ 15° 20' 17.56"	पू 76° 31' 13.11"
20	उ 15°13' 27.43"	पू 76° 36' 57.42"	42	उ 15° 20' 53.62"	पू 76° 31' 47.99"
21	उ 15°13' 47.42"	पू 76° 36' 35.52"	43	उ 15° 21' 12.60"	पू 76° 32' 05.73"
22	उ 15°13' 46.22"	पू 76° 35' 34.38"	44	उ 15° 22' 08.81"	पू 76° 31' 53.20"

<u>उपाबंध</u> IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश

8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2015

S.O.2609(E).-The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in;

Draft Notification

Whereas, Daroji Bear Sanctuary in Hospet and Sandur Taluk of Bellari District of Karnataka State and spread over an area of 82.72 Sq.Kms and lies between latitudes N 15^0 14'to N $15^0$07' and longitude E 76^0 31' to E 76^0 40' and this sanctuary is formed vide Government of Karnataka Notification No. FEE 159 FWL 91 dated 17-10-1994 notifying an area of 55.873 Sq. Kms. as the Daroji Bear Sanctuary under sub-clause (b) of section 26 A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and further, in the year 2008 the Government of Karnataka vide its notification no. FEE 119 FWL 2008 dated 03-10-2008 notified an additional area of 26.85 Sq.kms of Bukkasagara Reserved Forest area as Daroji Bear Sanctuary and presently, the total area of Daroji Bear Sanctuary is 82.72 sq.kms;

And wheras, the Daroji Bear sanctuary is the only sanctuary in India precisely declared for the conservation of endangered mammal Indian Sloth Bear (*Melursus ursinus*) and the rocky boulders and caves, scrub jungle and terrain in this sanctuary become an ideal habitat for Sloth Bears and Leopards;

And wheras, owing to the stringent conservation practices by the forest department with the support of local NGOs and wildlife activists, the sanctuary has been regenerated and the entire ecosystem has been undergone metamorphosis and the entire luxuriant flora is regenerated from the stumps and by the seed dispersal by the bears and birds and once barren, degraded jungle has now become a verdant green forest. Innumerable species of plants typical to the North Karnataka Scrub forest are seen here. As the forests are regenerated, the wildlife is flourishing here. The population of Indian Sloth bears has been increased. Population of Leopard, Porcupine, Pangolin, Jackal, Black-napped Hare, and Ruddy Mongoose etc. also increased and about 150 species of birds including rare Yellow-throated Bulbul, Painted Spurfowl have been identified here and Reptiles like Star tortoise, Python, Russell's viper, Red Sand Boa, Cobra and many snakes are seen here;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Daroji Bear Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 150 meters to 4.7 kms around the boundary of Daroji Bear Sanctuary in the State of Karnataka as the Daroji Bear Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.— (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 132.016 sq. kms with an extent varying from 150 meters to 4.7 kms around the boundary of Daroji Bear Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The maps of the Eco-sensitive Zone along with boundary details is appended as **Annexure-III.**

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-III A.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(ix) Karnataka State Pollution Control Board;
(x) Irrigation; and
(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land use.—** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Rainwater harvesting; and
(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism. —** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Daroji Bear Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage. —** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites. —** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. —** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents. —**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. —** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. —** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in

the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. — The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely: —

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated Activities		
10.	Use of Plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.

11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling. (ii) Electric polis can be erected within the Eco-sensitive Zone as per the prescriptions under the Zonal Master Plan or with the recommendation of monitoring committee.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Nonpolluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-

		based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted

Monitoring Committee: — (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka, which shall comprise of the following,namely: —

(i) Regional Commissioner, Gulbarga -Chairman

(ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly*, Hosapet Constituency, Bellari District - Member

(iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;

(iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;

(v) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board -Member;

(vi) A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year in each case -Member;

(viii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year in each case -Member.

(ix) Deputy Commissioner or his representative, Bellary District -Member

(x) The Deputy Conservator of Forests, Bellary Division, Bellary -Member Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph

4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F.No. 25/137/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARIES OF DAROJI BEAR SANCTUARY

The point number -1 is located at the north of the Daroji Bear Sanctuary (Bukkasgara Block) on the bank of Tungabhadra River (N 15°22'46.30" E 76°32'37.72") the Eco-sensitive Zone boundary line movers straight towards east to point no.-2 (N 15° 22' 43.76" E 76° 34' 11.86"), then the boundary line moves towards south to point no.-3 (N 15° 21' 49.46" E 76° 34' 12.94"), then the boundary line movers round the Ramasagara Tank to point no.-4 (N 15° 21' 39.11" E 76° 34' 42.31"), then the boundary line moves south to point no.-5(N 15°20'51.34" E 76°34'42.73") situated on Tungbhadra Right bank canal, then the boundary line runs east along the canal to point no.-6 (N 15°21'02.47" E 76°35'14.71"), then boundary line runs down in south-east direction upto point no.- 7 (N 15°19' 71.32" E 76°36'44.32"), then the boundary line runs along the bottom of the hillock to point no.-8 and point no-9, excluding the Metri village settlement, then the boundary line joins the Metri-Devalapuram Road at point no-9A (N 15°18'04.72" E 76°37'49.21"), then the boundary line runs along the road to point no.- 10 (15°17' 27.64" E 76° 38' 23.58"), then takes turn towards south-east up to point no.-10A (N 15°17'18.82" E 76°38'11.57"), then the boundary line turns south up to point no. 11 (N 15°17'01.10" E 76°38'24.90") located outside the Develapuram village settlement, then the boundary line runs straight in south-east direction reaching point no.-12 (N 15°16'34.11" E 76°39'41.04") then boundary line runs in east up to point no.-13 (N 15°16'32.42" E 76°40'23.38") located on the bank of the water channel, then the boundary line runs south along the water channel through point no.-14 upto point no.-15 located on the northern edge of the Daroji Tank, then the boundary line runs along the boundary of the Daroji Tank to point no.- 16 , then the boundary line runs south-east straight upto point no.-17 located on the Hospet-Bellari Road, then the boundary line runs along the road to point no. -18 (N 15°13'27.43" E 76°36'57.42"), then the boundary line runs towards north upto point no. -19 (N 15°13'47.42" E 76°36'35.52"), then the boundary line runs towards west up to point no.-20 (N 15°13'46.22"

E 76°35' 34.38"), then the boundary line runs in south to point no.-21 located on the Railway line boundary, then the Eco-sensitive Zone boundary line runs west along the Railway line through point no.-22, 23, 24, 25, 26, 27, up to point no. 28, then the boundary line runs towards north to point no. 29 located on the boundary of the Bilikallu west Reserve forest, then the boundary line runs north-west straight to point 30 loacted on the western-most point of the Bilikallu West RF, then the boundary line runs east along the boundary of the Bilikallu West RF upto point no. 33 located on the Tungabhadra High level canal, then the boundary line runs along the Tungabhadra High level canal up to point no.- 35, then the boundary line turns north up to point no.-36 then the boundary line moves for further up to point no.-37 located on the Kamlapura – Ramasagara Road, then the boundary line moves north-east along the road up to point no.- 41, then the boundary line turns north to point no.-42 located on the bank of the Tungabhadra River, then the boundary line runs north-east along the bank of Tungabhadra River to reach the starting point no.-1.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF AROUND DAROJI BEAR SANCTUARY

Map ID	Name of the Village	Village Covered in ESZ	Taluk	Extent in Sq.Kms	Latitude	Longitude
1	Ramasagara	Partial Village	Hosapete	4.079	N 15.37646	E 76.57522
2	Kanavithimmalapura	Partial Village	Hosapete	8.547	N 15.34459	E 76.57260
3	Bukkasagara	Partial Village	Hosapete	5.187	N 15.34972	E 76.53200
4	Venkatapura	Partial Village	Hosapete	7.223	N 15.33018	E 76.51664
5	Kaddiramapura	Partial Village	Hosapete	30.059	N 15.27947	E 76.52431
6	Ingaligi	Partial Village	Hosapete	1.964	N 15.25904	E 76.44201
7	Vaddarahalli	Partial Village	Hosapete	1.796	N 15.23655	E 76.46855
8	Pappinayakkanahalli	Partial Village	Hosapete	3.695	N 15.23869	E 76.48876
9	Bayaluvadigere	Partial Village	Hosapete	8.508	N 15.24227	E 76.52535
10	Darmasagara	Partial Village	Hosapete	6.418	N 15.23313	E 76.56372
11	Kottiganal	Partial Village	Hosapete	2.981	N 15.21926	E 76.58360
12	Gadiganuru	Partial Village	Hosapete	2.597	N 15.22222	E 76.59769
13	Gonalu	Partial Village	Hosapete	5.709	N 15.22097	E 76.62701
14	Daroji	Partial Village	Sanduru	11.647	N 15.26527	E 76.66681
15	Devalapura	Partial Village	Hosapete	3.95	N 15.28319	E 76.64616
16	Upparahalli	Partial Village	Hosapete	7.339	N 15.29219	E 76.60729
17	Metri	Partial Village	Hosapete	8.727	N 15.30919	E 76.62290
			Total	120.426		

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY

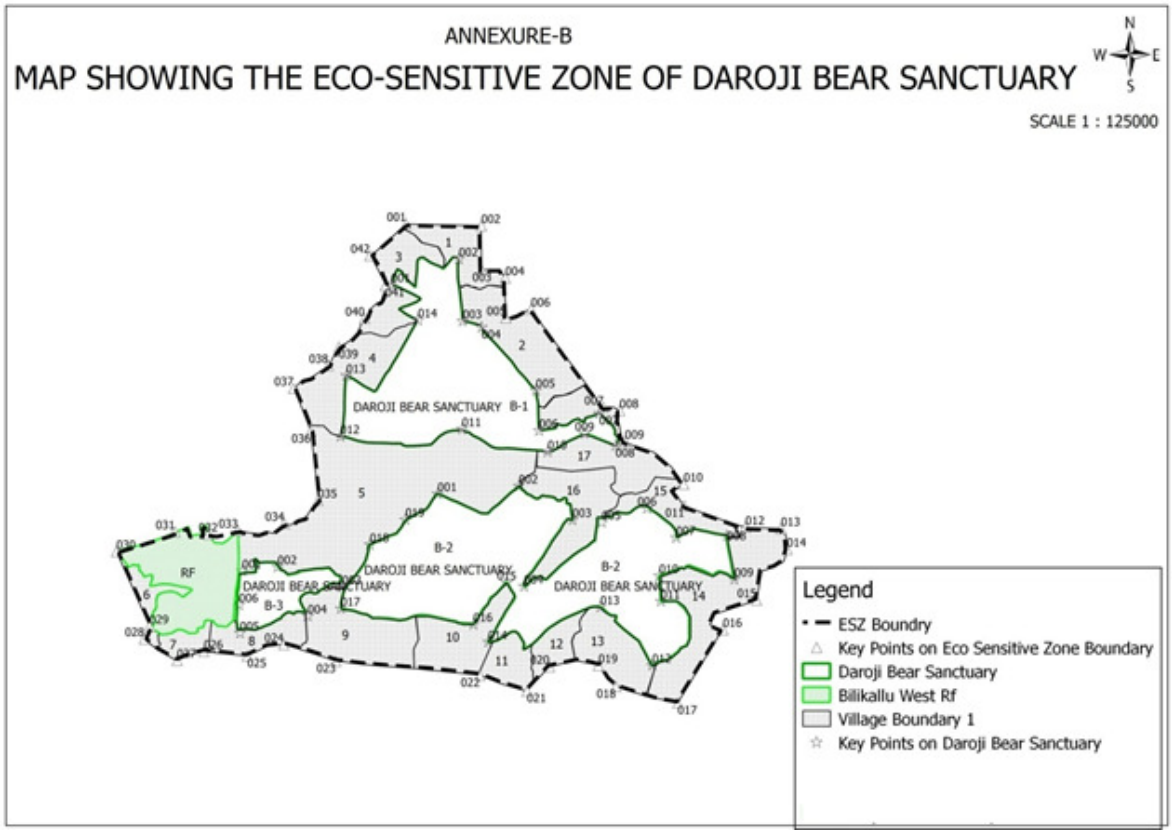

ANNEXURE-III A

KEY LOCATIONS ON THE DAROJI BEAR SANCTUARY AND THE ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY

Key Locations (GPS Points) on the Daroji Bear Sanctuary (Block-01)		
Map ID	Latitude	Longitude
1	N15.35864	E76.53915
2	N15.36713	E76.56228
3	N15.34665	E76.56346
4	N15.34450	E76.56999
5	N15.32309	E76.58876
6	N15.30992	E76.58968
7	N15.31457	E76.61068
8	N15.30393	E76.61631
9	N15.30800	E76.60557
10	N15.30188	E76.59304
11	N15.30953	E76.56296
12	N15.30753	E76.52062
13	N15.32787	E76.52300
14	N15.34623	E76.54780

Key Locations (GPS Points) on the Daroji Bear Sanctuary (Block-02)		
Map ID	Latitude	Longitude
1	N15.28707	E76.55521
2	N15.28969	E76.58362
3	N15.27761	E76.60242
4	N15.25583	E76.58538
5	N15.27836	E76.61132
6	N15.28299	E76.62712
7	N15.27194	E76.63854
8	N15.27206	E76.65598
9	N15.25752	E76.65854
10	N15.25849	E76.63235
11	N15.25012	E76.63301
12	N15.22858	E76.62984
13	N15.24780	E76.60978
14	N15.23654	E76.57324
15	N15.25695	E76.57944
16	N15.24276	E76.56717
17	N15.24865	E76.52181
18	N15.26696	E76.53164
19	N15.27364	E76.54106

Key Locations (GPS Points) on the Daroji Bear Sanctuary (Block-03)		
Map ID	Latitude	Longitude
1	N15.26280	E76.48614
2	N15.26410	E76.49849
3	N15.25716	E76.52088
4	N15.24739	E76.50882
5	N15.24182	E76.48521
6	N15.25136	E76.48494

Key points (GPS location) on Eco-sensitive Zone boundary.
(Datum WGS-84)

Map ID	Latitude	Longitude	Map ID	Latitude	Longitude
1	N 15° 22’ 46.30”	E 76° 32’ 37.72”	23	N 15° 13’ 17.11”	E 76 35’ 05.65”
2	N 15° 22‘43.76”	E 76° 34’ 11.86”	24	N 15° 13’ 37.03”	E 76 34’ 05.42”
3	N 15° 21’ 49.46”	E 76° 34’ 12.94”	25	N 15° 13’ 56.51”	E 76 31’ 03.23”
4	N 15° 21’ 39.11”	E 76° 34’ 42.31”	26	N 15° 14’ 15.79”	E 76 30’ 01.72”
5	N 15° 20’ 51.34”	E 76° 34’ 42.73”	27	N 15° 14’ 02.39”	E 76 29’ 15.25”
6	N 15° 21’ 02.47”	E 76° 35’ 14.71”	28	N 15° 14’ 08.16”	E 76 28’ 21.88”
7	N 15° 19’ 71.32”	E 76° 36’ 44.32”	29	N 15° 13’ 57.54”	E 76 27’ 47.49”
8	N 15° 19’ 01.89”	E 76° 36’ 58.16”	30	N 15° 14’ 23.67”	E 76 27’ 07.00”

9	N 15° 18′ 19.28″	E 76° 37′ 10.45″	31	N 15° 15′ 01.17″	E 76 27′ 04.22″
10	N 15° 18′ 04.72″	E 76° 37′ 49.21″	32	N 15° 16′ 10.58″	E 76 26′ 32.94″
11	N 15° 17′ 27.64″	E 76° 38′ 23.58″	33	N 15° 16′ 32.65″	E 76 27′ 45.20″
12	N 15° 17′ 18.82″	E 76° 38′ 11.57″	34	N 15° 16′ 31.49″	E 76 28′ 27.37″
13	N 15° 17′ 01.10″	E 76° 38′ 24.90″	35	N 15° 16′ 34.94″	E 76 29′ 05.55″
14	N 15° 16′ 34.11″	E 76° 39′ 41.04″	36	N 15° 16′ 42.42″	E 76 30′ 03.36″
15	N 15° 16′ 32.42″	E 76° 40′ 23.38″	37	N 15° 17′ 10.80″	E 76 30′ 45.58″
16	N 15° 16' 12.58″	E 76° 40′ 32.36″	38	N 15° 18′ 34.39″	E 76 30′ 37.89″
17	N 15° 15′ 05.70″	E 76° 39′ 54.52″	39	N 15° 19′ 27.88″	E 76 30′ 15.96″
18	N 15° 14′ 29.80″	E 76° 39′ 11.68″	40	N 15° 19′ 55.08″	E 76 30′ 59.77″
19	N 15° 13′ 01.19″	E 76° 38′ 14.00″	41	N 15° 20′ 17.56″	E 76 31′ 13.11″
20	N 15° 13′ 27.43″	E 76° 36′ 57.42″	42	N 15° 20′ 53.62″	E 76 31′ 47.99″
21	N 15° 13′ 47.42″	E 76° 36′ 35.52″	43	N 15° 21′12.60″	E 76 32′ 05.73″
22	N 15° 13′ 46.22″	E 76° 35′ 34.38″	44	N 15° 22′ 08.81″	E 76 31′ 53.20″

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.